

कार्यालय, धनबाद नगर निगम, धनबाद।

—: नोटिस :—

झारखण्ड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंकवेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावलि 2013 के तहत धनबाद नगर निगम के अन्तर्गत संचालित धर्मशाला, विवाह भवन/बैंकवेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल के संचालकों द्वारा अपने-अपने धर्मशाला/विवाह भवन/बैंकवेट हॉल/लॉज/हॉस्टल का निर्माण/अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिया गया है। जिसकी सूचना निगम कार्यालय के सूचना-पट्ट अथवा वेबसाईट www.udhd.jharkhand.gov.in/Other/Notices.aspx पर देख सकते हैं। निगम के द्वारा गठित समिति के द्वारा उक्त आवेदनों के जाचोपरान्त नियम-3 के अन्तर्गत उल्लेखित शर्तों के अनुरूप पाया गया है, जिनको संचालन की अनुमति निगम द्वारा दिया जाना है।

यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान/विभाग को धर्मशाला/विवाह भवन/बैंकवेट हॉल/लॉज/हॉस्टल के अनुज्ञप्ति देने के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो इस नोटिस के नोटिस बोर्ड में चस्पाने अथवा वेबसाईट पर अपलोड होने के 15 दिनों के अन्दर निगम कार्यालय में लिखित रूप से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

नगर आयुक्त,
धनबाद।

ज्ञापांक.....१०८...../ध.न.नि.

दिनांक 22/07/17

प्रतिलिपि :- विज्ञापन प्रबंधक, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि धनबाद संस्करण में एक दिन के लिए पढ़ने योग्य न्यूनतम जगह में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मियों को नोटिस बोर्ड में चस्पाने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त,
धनबाद।

लोक आपत्ति हेतु धनबाद नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत हॉस्टल, लॉज, धर्मशाला, बैंकवेट हॉल की सूची :-

1. कटेसरिया प्रोपर्टीज प्रा० लि०
2. होटल स्वास्तिक रिजेन्सि
3. गरीब गेस्ट हाउस
4. इन्द्रालय भवन
5. श्री धनबाद एस. एस. जैन संघ।
6. श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज ट्रस्ट।
7. होटल जिल।
8. शुभम गर्ल्स हॉस्टल।
9. शक्ति भवन, शक्ति मंदिर।
10. रविन्द्र कुमार सूद और मनोज सूद।
11. न्यू होटल सुशान्त इन्टरनेशनल (कुकुन)
12. सोनोटेल होटल एवं रिसोर्ट प्रा० लि० (बैंकवेट)।
13. सोनोटेल होटल एवं रिसोर्ट प्रा० लि० (गार्डेन)।
14. गोकुल बैंकवेट हॉल।
15. सिद्धिविनायक होटल (बैंकवेट हॉल)।


नगर आयुक्त,
धनबाद।